न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41/2019 **दायरा दिनांक : 24.06.2019**

उनवान

1— धन्नालाल पुत्र कान्हा, जाति मीणा, निवासी तुरकाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— शंकरलाल पुत्र कान्हा, जाति मीणा, निवासी तुरकाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— मोती लाल वल्द देवीलाल, जाति मीणा, निवासी तुरकाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— गोपी लाल वल्द देवीलाल, जाति मीणा, निवासी तुरकाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 19/इजराय/2015 निर्णय दिनांक 17.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम तुरकाडिया, तहसील अकलेरा के खसरा नम्बर 282 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा आराजी के बारे में रेस्पोडेंट का बंटवारे के बाद डिक्री करते हुए एवं अपीलांट क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड के मुताबिक निर्धारित करते हुए बंटवारे का आदेश पारित किया गया था । मुताबिक फाईनल डिक्री दिनांक 03.05.2016 रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा अर्थात खसरा नम्बर 282 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा पृथक खाते दर्ज करने का आदेश दिया एवं कब्जे का भी आदेश दे दिया, मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में खाता पृथक पृथक कर दिया गया, परन्तु कब्जा नहीं दिया गया क्योंकि तहसील के द्वारा दिनांक 08.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा कि रेकार्ड में कुल आराजी 15 बीघा 15 बिस्वा है परन्तु मौके पर रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा ही है तो अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की एक तरफा बहस सुनकर यह आदेश पारित कर दिया कि मुताबिक डिक्री 1/2 भाग पर कब्जा संभला दिया जावे और पालना रिपोर्ट का आदेश कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वकील वादी/रेस्पोडेंट को सुनकर आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । फाईनल डिक्री में वर्णित राजस्व रेकार्ड के मुताबिक आराजी 15 बीघा 15 बिस्वा है और मुताबिक बंटवारा रेस्पोडेंट/वादी को 7 बीघा 17 बिस्वा आराजी दक्षिण तरफ की दी गई एवं अपीलांट/प्रतिवादी को उत्तर तरफा की 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी दी गई, जो पृथक पृथक खाते दर्ज है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फाईनल डिक्री में कब्जे का आदेश

पारित किया गया था और यदि मौके पर आराजी कम थी तो पटवारी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि शेष आराजी उसके कब्जे काश्त में है, परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा केवल मात्र यह बताया कि मौके पर 15 बीघा 15 बिस्वा की जगह 15 बीघा 1 बिस्वा आराजी है तो ऐसी स्थिति में कम हुई आराजी किसके कब्जे में है यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कब्जा देने के बारे में वादी रेस्पोडेंट के हक में आदेश पारित नहीं करना चाहिए था । मौके पर आराजी पूरी 15 बीघा 15 बिस्वा ही है परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर आराजी 15 बीघा 1 बिस्वा ही बतायी है परन्तु शेष आराजी भी दक्षिण तरफा ही है, परन्तु अपीलांट के द्वारा लगाये गये पेड़ एवं 1/2 हिस्से की आराजी पर खुदवाया गया कुआं के मामले में बध्यान्ति आ जाने से उसने मिली भगत करके 14 बीघा आराजी कम बताकर अपीलांट की तरफा आराजी नपवाली है जो अवैधानिक है, मौके पर कोई आराजी कम नहीं है । कानूनन जब तक 14 बिस्वा कम आराजी किसके कब्जे में है इस तथ्य की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आ जाने तक अधीनस्थ न्यायालय को डिक्री की पालना में दिनांक 17.01.2018 को रेस्पोडेंट वादी के हक में कब्जे के आदेश पारित नहीं करना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 अपास्त किया जावे एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि वह सम्पूर्ण 15 बीघा 15 बिस्वा आराजी की पैमाईश कर यह निर्धारित करें कि 15 बीघा 1 बिस्वा आराजी शेष किसके कब्जे में है और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय से मार्गदर्शन मांग करके ही कब्जे के सन्दर्भ में कार्यवाही करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2011–12 (सप्लीमेंन्ट्री) पेज 673, आर आर टी 2018–19 (सप्लीमेंन्ट्री) पेज 1 एवं । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 नियम 20 (ई) पेज 920, आर आर डी 1991 पेज 392 की नजीरें पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है, विधि मान्य नहीं है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा